<u>न्यायालयः अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम–2, जयपुर महानगर–प्रथम</u>

पीठासीन अधिकारी : संतोष कुमार बैरवा, आर.जे.एस.

मूल फौज. प्रकरण सं. : 97020/2018
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. : 256/2018 थाना गॉधीनगर, जयपुर

राजस्थान राज्य

बनाम

सौरभ यादव पुत्र संतोष यादव, उम्र 28 वर्ष, निवासी बी.एस. 9 दीनदयाल नगर, महाराजपुरा, पुलिस थाना ग्वालियर–मध्यप्रदेश, हाल डी–4 विनायक अपार्टमेंट, नियर खिरनी फाटक चौकी, थाना झोटवाडा, जयपुर।

........अभियुक्त

<u>अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325 भा.द.सं.</u>

<u>उपस्थितः</u>–

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी–राज. राज्य की ओर से।
2. श्री सुनील शर्मा, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

<u>:: निर्णय ::</u> **दिनांकः 28.10.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 20.04.2018 को परिवादी संजय बीजावत ने एक लिखित रिपोर्ट थानाधिकारी, पुलिस थाना गॉधीनगर, जयपुर के समक्ष इस आशय की पेश की कि दिनांक 19.04.2018 को सांय करीब 8.30 बजे वह अपने घर मालवीय नगर से जनता स्टोर आ रहा था, जैसे ही वह एन.आर.आईसक्रीम पार्लर पर आकर रूका और अपना हैलमेट उतार कर खडा ही हुआ था कि उसी वक्त पीछे से एक व्यक्ति पल्सर मोटर साईकिल जिसके नम्बर आर.जे.14/बी.ओ. 0543 थे, पर आया और वह अपनी गाडी रोककर उसकी तरफ आया। उसके एक हाथ में हैलमेट व दूसरे हाथ में नुकीली धारधार वस्तु थी, आते ही उसके सिर पर लगातार हैलमेट से वार किया और उसके कान के पास उस धारधार वस्तु से वार किया तभी वह जोर से चिल्लाया तो जनता स्टोर के दुकानदार व वहां खडे लोगों ने उसे बचाया। वह बोल रहा था कि उसे सौरभ यादव कहते है उसे उसके बारे में पता नहीं है कि वह कौन है। इतनी देर में वहां पुलिस आ गयी जो उस व्यक्ति व उसकी मोटर साईकिल को थाने ले गयी। उसके बाद पुलिस वाले उसका ईलाज कराने सवाई मानसिंह अस्पताल ले गये। उसके सिर में दो जगह गहरी चोट आयी है व हाथ में फैक्चर हो गया तथा कान के पास धारधार वस्तु से वार किया जिसकी चोट आयी है तथा उसके कंधे पर चोट आयी है। अपना ईलाज कराने में व्यस्त रहने के कारण वह दिनांक 19.04.2018 को रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाया। वह दिनांक 20.04.2018 को रिपोर्ट दर्ज करा रहा है। अतः

उसकी मदद करने की कृपा करें।

उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना गॉधीनगर जयपुर पर मुकदमा सं. 256/2018 अन्तर्गत धारा 341, 323 भा.द.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद अनुसंधान उक्त अभियुक्त सौरभ यादव के विरुद्ध धारा 341, 323, 325 भा.द.सं. के अपराध में यह आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया है, जिस पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराधों में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

अभियुक्त सौरभ यादव को धारा 341, 323, 325 भा.द.सं. के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी.डब्ल्यू–1 डॉ. शंशाक शर्मा, पी.डब्ल्यू–2 संजय बीजावत, पी.डब्ल्यू–3 विनोद चौधरी, पी.डब्ल्यू–4 राजकुमार शर्मा, पी.डब्ल्यू–5 कृष्ण कुमार, पी.डब्ल्यू–6 उम्मेदसिंह व पी.डब्ल्यू–7 सज्जन सिंह को परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 चोट प्रतिवेदन आहत संजय बीजावत, प्रदर्श पी–2 एक्सरे रिपोर्ट, प्रदर्श पी–3 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श पी–4 नक्शा मौका को प्रदर्शित करवाया।

अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् अभियुक्त के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता पृथक से लेखबद्ध किये गये, जहॉ उन्होंने अभियोजन गवाहान के कथनों को गलत होना बताया एवं प्रतिरक्षा में साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा तत्पश्चात साक्ष्य सफाई पेश करने से इन्कार किया तथा कथन किया कि वह विद्यार्थी है एवं घटना के दिन जनता स्टोर पर आया था। परिवादी एल.आई.सी एजेंट है उसने विनोद की दुकान पर उसे पॉलिसी लेने के लिये बाध्य किया। उसके पॉलिसी लेने से मना करने पर वहां से जाने के दौरान परिवादी ने उसकी मोटर साईकिल पीछे से पकड कर खींची जिससे वे दोनों गिर गये। इस घटना की परिवादी ने झूंठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। परिवादी ने उसे पैसे भी मांगे जो उसने नहीं दिये। उसने कोई जुर्म नहीं किया एवं ना ही कोई जुर्म स्वीकार किया है, उसे झूठा फंसाया गया है।

बहस अन्तिम उभय पक्षकारान सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

उक्त प्रकरण के निस्तारण के लिये न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि–

क्या अभियुक्त सौरभ यादव ने दिनांक 19.04.2018 को शाम करीब 8.30 पी.एम. या उसके लगभग किसी समय एन.आर. आईसक्रीम पॉलर, जनता स्टोर जयपुर पर परिवादी संजय बीजावत को इच्छित दिशा में जाने से रोककर स्वेच्छया सदोष अवरोध कारित कर एवं उक्त परिवादी के साथ कुंद हथियारों से मारपीट कर

स्वेच्छया साधारण व गम्भीर प्रकृति की चोटें कारित की ?

यदि हाँ, तो अभियुक्त का समुचित दण्ड क्या होगा ?

दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे पर्याप्त रूप से साबित है और अभियुक्त को दोषसिद्ध करने का निवेदन किया।

इसके विपरीत अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि परिवादी एल.आई.सी एजेंट है जिसने जबर्दस्ती अभियुक्त को पॉलिसी लेने के लिये बाध्य किया और परिवादी ने उसकी मोटर साईकिल को पीछे से पकड कर खींचा और अभियुक्त के विरूद्ध झूंठा प्रकरण दर्ज करवाया गया है। अभियोजन गवाहान की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है। परिवादी/आहत के गम्भीर प्रकृति की चोटें साबित नहीं होती है और अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के सन्दर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 07 गवाहान को पेश कर परीक्षित करवाया गया है जिनमें से गवाह पी.डब्ल्यू–2 संजय बीजावत उक्त प्रकरण का परिवादी है जिसने अपने बयानों में कथन किया है कि दिनांक 19.04.2018 को शाम करीब 8:30 बजे गवाह मालवीय नगर से जनता स्टोर आ रहा था कि एन आर आईसक्रीम पार्लर पर आकर रूक कर गवाह ने अपना हैलमेट उतारा उसी समय एक व्यक्ति पीछे से पल्सर मोटर साईकिल जिसका नम्बर आर जे 14 बी क्यू 0543 को लाया और उसने गाडी रोकी व गवाह की तरफ आया और आते ही हैलमेट से उसने गवाह के सिर पर लगातार वार किये व कान के पास धारदार वस्तु से वार किया। गवाह जोर जोर से चिल्लाया तो वहॉ भीड़ हो गई, लोगों ने गवाह को बचाया था। वह व्यक्ति बोल रहा था कि वह उसे नहीं जानता उसे सौरभ यादव कहते है। इसके बाद मौके पर पुलिस आ गई और पुलिस उस व्यक्ति को और मोटर साईकिल को थाने पर ले गये। गवाह को ईलाज के लिये एस एम एस ले गये। गवाह के सिर, कान के पास चोट आई व सीधा हाथ फ्रेक्चर हो गया जिसकी रिपोर्ट दिनांक 20.04.2018 को गवाह ने दर्ज कराई थी। प्रदर्श पी 03 रिपोर्ट गवाह ने दर्ज कराई थी जिस पर ए से बी गवाह के हस्ताक्षर है। घटना स्थल का नक्शा प्रदर्श पी 04 है जिस पर ए से बी गवाह के हस्ताक्षर है। गवाह के आयी चोटों का मेडिकल मुआयना हुआ था। एम एल आर प्रदर्श पी 01 है और एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 है जो शामिल पत्रावली है।

उक्त गवाह ने जिरह में कथन किया है कि गवाह एल आई सी एजेन्ट है

और जनता स्टोर आया हुआ था। विनोद चौधरी व राजकुमार जी गवाह के क्लाईंट है। विनोद चौधरी की जनता स्टोर पर आईसक्रीम की दुकान है व राजकुमार जी का गृह निर्माण सोसायटी का जनता स्टोर पर ऑफिस है एवं दोनों में करीब 40–50 मीटर की दूरी है। घटना स्थल पर गाडी पार्किगं में पार्क नहीं की थी बल्कि गवाह मुड़ ही रहा था इतनी देर में ही झगड़ा हो गया। झगड़े के समय वे दोनों ही थे और झगड़े को सुनकर अन्य लागों की भीड़ भी वहॉ जमा होने लगी। झगड़े होते समय वहॉ पर पहले से क्रॉउड था जिन्होंने उनका बीच बचाव कराया था। बीच बचाव करने वाले केवल विनोद जी थे जो दुकान से उठकर आये थे बाकी सब देख रहे थे। झगड़ा होने के करीब 5–10 मिनिट बाद विनोद जी ने बीच बचाव कराया था। गवाह विनोद जी और राजकुमार जी को पिछले 10–12 सालों से जानता है। गवाह की सौरभ से पहली बार ही मुलाकात हुई थी, गवाह उसे पहले से नहीं जानता था। गवाह का किसी ने भी सौरभ से कोई परिचय नहीं कराया। गवाह ने सौरभ को पॉलिसी के लिये ऑफर नहीं किया और सौरभ द्वारा पॉलिसी के लिये मना करने पर झगडा होने की बात गलत है। इस प्रकार उक्त परिवादी गवाह ने अपनी साक्ष्य में गवाह विनोद द्वारा बीच बचाव कराया जाना जाहिर किया है।

उक्त गवाह विनोद पी.डब्ल्यू–3 के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुआ है जिसने अपने बयानों में कथन किया है कि गवाह की एन आर आईसक्रीम पार्लर के नाम से जनता स्टोर पर दुकान है। दिनांक 19.04.2018 को शाम करीब 8:30 बजे गवाह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था और उसी समय एक मोटर साईकिल वाला वहॉ आकर रूका और हैलमेट उतारा ही था कि तभी एक पल्सर बाईक वाला वहॉ पर आया और पहले रूके मोटर साईकिल चालक को आते ही हैलमेट से ताबड़तोड़ मारना शुरू कर दिया। उसने उस व्यक्ति के धारदार हथियार से कान के नीचे और सिर में वार किये जिससे उसके सिर व कान के पास से खून बहने लगा। उसका हाथ भी फ्रेक्चर हो गया था। वहॉ पर काफी भीड़ इकठ्ठी हो गई, मारने वाला आदमी जोर से चिल्लाकर बोल रहा था कि वह सौरभ यादव है वह उसके बाप को जानता नहीं है। जमा भीड़ ने बीच बचाव कराया फिर मौके पर पुलिस आ गई और पकड़ कर दोनों को थाने ले गई फिर 2–4 दिन बाद पुलिस ने घटना स्थल का मौके पर आकर नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 04 है जिस पर सी से डी स्थान पर गवाह के हस्ताक्षर है।

उक्त गवाह ने जिरह में कथन किया है कि घटना के समय उसकी दुकान पर एक–आद ग्राहक थे अन्य कोई ग्राहक नहीं थे। घटना स्थल और गवाह की दुकान के बीच एक फुटपाथ है जिसके बीच करीब 10 फीट की दूरी है। घटना स्थल पर गवाह सबसे पहले पहुॅचा था और फिर बाद में राजकुमार जी पहुॅचे थे। गवाह झगड़े के 5 मिनिट बाद घटना स्थल पर पहुॅच गया था। संजय एल आई सी एजेन्ट है जिससे गवाह की वर्षो से मित्रता है। संजय ने सौरभ से पॉलिसी के लिये

कहा हो और पॉलिसी के लिसे सौरभ ने मना किया हो और इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगडा हुआ हो, इस बात की जानकारी गवाह को नहीं है।

इसके अतिरिक्त गवाह पी.डब्ल्यू–4 राजकुमार शर्मा ने कथन किया है कि एन आर आईसक्रीम पार्लर के सामने का पुलिस ने घटना स्थल का मौके पर आकर नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 04 है जिस पर ई से एफ स्थान पर गवाह के हस्ताक्षर है।

उक्त गवाह ने जिरह में कथन किया है कि गवाह नक्शे मौके के बारे में समझता है। एन आर आईसक्रीम पार्लर के दक्षिण दिशा में झगडा हुआ था जो कि फुटपाथ के सामने एक खंभा बना है वहीं हुआ था। यह सही है कि झगड़ा गवाह के सामने नहीं हुआ था। जनता स्टोर पर कोई पार्किंग नहीं है, अंदर तो पार्किंग है। झगडा होने के 5–6 दिन बाद नक्शा मौका बना था। गवाह को साईन कराने के लिये गांधीनगर थाने बुलाया था फिर कहा कि जो गवाह के साईन कराये थे वो आईसक्रीम पार्लर के सामने कराये थे। नक्शा मौका बनवाते समय विनोद जी और गवाह मौजूद था। विनोद जी की दुकान सामने ही है। नक्शा मौका बनाते समय दोपहर का समय था।

गवाह पी.डब्ल्यू–1 डॉ. शशांक शर्मा चिकित्सीय साक्षी है जिसने अपने बयानों में कथन किया है कि दिनांक 19.04.2018 को गवाह मेडिकल ज्यूरिस्ट के पद पर एस एम एस में कार्यरत था। उस दिन गवाह ने थाना गांधीनगर के प्रतिवेदन पर मजरूब संजय बीजावत के शरीर पर आई चोटों का मुआयना किया जिसके चोट सं.1. टांके लगा हुआ कुचला हुआ घाव 4 सेमी साईज का बांये कान के अग्र भाग पर, चोट सं.2. टांके लगा हुआ कुचला हुआ घाव 1.5 सेमी साईज का बायें पेराईटो फ्रंटल भाग पर,चोट सं.3. कुचला हुआ घाव 0.5 X 0.5सेमी साईज का बायें पेराईटल भाग पर, चोट सं.4. कुचला हुआ घाव 1.0 X 0.5 सेमी साईज का दांये पेराईटल भाग पर, चोट सं.5. सिर पर 3 X 3 सेमी. की सूजन जिसके उपर 2 सेमी व 1 सेमी. की खरोंचें थी व चोट सं.6. दाई अग्र भुजा पर प्लास्टर बंधा हुआ था। सभी चोटों की प्रकृति के लिये एक्सरे की सलाह दी गई थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 01 है जिस पर ए से बी गवाह के व सी से डी मजरूब के साईन है, एक्स स्थान पर मजरूब संजय का अगूठा निशानी है। एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 है जिस पर ए से बी गवाह के साईन है व सी से डी भाग पर गवाह की ऑपोनियन है। रेडियोलोजिस्ट की राय के अनुसार चोट सं. 1 से 05 साधारण प्रकृति की व कुंद हथियार से कारित थी एवं चोट सं. 06 गंभीर प्रकृति की कुंद हथियार से कारित थी।

उक्त गवाह ने जिरह में कथन किया है कि गवाह ने रेडियोलोजिस्ट की एक्सरे रिपार्ट के आधार पर चोट सं. 06 गंभीर प्रकृति की बताई है। यह कहना सही है कि चोट सं. 1 लगायत 6 किसी दुपहिया वाहन के स्लिप कर जाने पर

गिरने से आना संभव है। चोट सं. 06 कितनी पुरानी है इसके बारे में रेडियोलोजिस केलस के आधार पर राय दे पायेंगे। यह सही है कि रेडियोलोजिस्ट की राय में ओल्ड फ्रेक्चर सीन लिखा हुआ हुआ है जो कि इंगित करता है कि यह फ्रेक्चर जब रेडियोलोजिस्ट द्वारा राय दी गई उस दिन के लिये फ्रेश नहीं था।

गवाह पी.डब्ल्यू–5 कृष्ण कुमार उक्त प्रकरण को दर्ज करने का औपचारिक गवाह है जिसने अपने बयानों कथन किया है कि दिनांक 20.04.2018 को गवाह थाना गांधीनगर में डीओ के पद पर तैनात था उस दिन संजय बीजावत ने गवाह के समक्ष एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 प्रस्तुत की जिस पर गवाह द्वारा सी से डी कार्यवाही पुलिस अंकित की जिस पर मुकदमा नम्बर 256 / 2018, धारा 341 व 323 भा.दं.सं. में दर्ज किया गया। प्रदर्श पी 3 पर ई से एफ गवाह के हस्ताक्षर हैं।

उक्त गवाह ने जिरह में कथन किया है कि प्रदर्श पी 3 रिपोर्ट संजय बीजावत ने थाने में आकर गवाह के समक्ष लिखी थी। इस रिपोर्ट की तहरीर देकर उन्होंने संजय को मेडिकल के लिए एसएमएस भेजा था। गवाह के समक्ष संजय बीजावत अकेला ही उपस्थित हुआ था जिसने पेपर पर प्रार्थना पत्र लिखा। प्रार्थना पत्र परिवादी लिखकर ही लाया था जिस पर कार्यवाही पुलिस अंकन के पश्चात परिवादी संजय बीजावत को एसएमएस मेडिकल के लिए लेकर गये थे।

गवाह पी.डब्ल्यू–6 उम्मेद सिंह उक्त प्रकरण का प्रथम अनुसंधान अधिकारी है जिसने अपने बयानों में कथन किया है कि गवाह दिनांक 20.04.2018 को थाना गांधीनगर में एएसआई के पद पर तैनात था। उस दिन गवाह को मुकदमा नम्बर 256 / 2018 की एफआईआर अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई गवाह ने गवाह विनोद चौधरी व संजय बीजावत के बयान 161 सीआरपीसी में लेखबद्ध किये थे। घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 4 है जिस पर जी से एच गवाह के हस्ताक्षर है। संजय बीजावत की आई आर प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई जो प्रदर्श पी 1 है इसके बाद गवाह की सेवा निवृति होने के कारण पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतू एसएचओ साहब को सुपुर्द कर दी।

उक्त गवाह ने जिरह में कथन किया है कि गवाह ने अनुसंधान के दौरान सभी गवाहों के बयान नहीं लिये जो सामने थे उनके बयान ले लिये। गवाहन स्वयं ही घटना के दूसरे दिन थाने पर उपस्थित हुए थे। गवाह ने कुछ कार्यवाही घटना स्थल पर और कुछ कार्यवाही थाने पर की थी। यह गवाह के अनुसंधान में नहीं आया कि गवाहन आपस में मित्रगण हैं। गवाह के पास कोई मेडीकल रिपोर्ट नहीं आने से उसके अनुसंधान में कोई निष्कर्ष नहीं आया था। गवाह ने परिवादी का मेडिकल नहीं करवाया था, गवाह के पास अनुसंधान आने से पहले ही थाने वालों ने करवा दिया था। परिवादी का मेडिकल घटना के दिन ही हो गया था।

इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू–7 सज्जन सिंह जो कि प्रकरण का पश्चात्वर्ती

अनुसंधान अधिकारी है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि दिनांक 05.07.2018 को गवाह पुलिस थाना गांधीनगर पर हैड कानि के पद पर तैनात था। उस दिन श्रीमान एसएचओ साहब ने मुकदमा संख्या 256 / 2018 की अग्रिम कार्यवाही हेतु मूल पत्रावली पूर्व आईओ उम्मेद सिंह के सेवानिवृत होने पर गवाह को सुपुर्द की। गवाह के द्वारा अभियुक्त सौरभ यादव को तलब कर तफतीश की गई। तफतीश के दौरान अभियुक्त सौरभ यादव द्वारा जुर्म स्वीकार करना पाया गया व एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 के आधार पर धारा 325 भा.दं.सं. जोडी गई। अभियुक्त के जमानत मुचलके भरकर शामिल पत्रावली किए गए। बाद कार्यवाही गवाह के द्वारा मूल पत्रावली श्रीमान एसएचओ साहब को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द की।

उक्त गवाह ने जिरह में कथन किया है कि जब गवाह के पास पत्रावली आई तब तक प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण हो चुका था। जुर्म स्वीकार करने की बात अभियुक्त सौरभ यादव द्वारा गवाह को लिखकर नहीं दी गयी थी। यह कहना गलत है कि मारपीट दोनों पक्षों में हुई हो। गवाह ने पत्रावली पर हुए पूर्व अनुसंधान के आधार पर जुर्म प्रमाणित माना था। गवाह ने अभियुक्त को बुलाकर पूछताछ करने के लिये अन्य कोई कार्यवाही नहीं की।

इस प्रकार उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी संजय बीजावत ने अपने बयानों में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 में वर्णित तथ्यों का समर्थन करते हुये घटना की दिनांक 19.04.2018 की शाम 8.30 पी.एम पर एन.आर. आईसक्रीम पॉर्लर, जनता स्टोर, जयपुर अभियुक्त सौरभ यादव द्वारा पल्सर मोटर साईकिल पर आकर उक्त परिवादी के साथ हैलमेट व धारधार वस्तु से मारपीट करने का स्पष्ट कथन किया है एवं स्वयं उक्त अभियुक्त द्वारा अपनी पहचान सौरभ यादव के रूप में बताया जाना जाहिर करते हुये मौके पर पुलिस का आना बताया है और आहत के सिर व कान पर चोटें आना और सीधे हाथ पर फैक्चर होना बताते हुये उक्त प्रकरण की तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 पुलिस के समक्ष पेश किया जाना जाहिर किया है। उक्त गवाह ने जिरह में इस सम्बन्ध में कोई विपरीत कथन नहीं किया है एवं स्पष्ट रूप से गवाह विनोद चौधरी द्वारा उसका बीच बचाव कराया जाना बताया है। उक्त गवाह विनोद चौधरी पी.डब्ल्यू–3 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ है जिसने अपने बयानों में अभियुक्त सौरभ यादव द्वारा परिवादी संजय बीजावत के साथ हैलमेट व धारधार वस्तु से मारपीट करना जाहिर करते हुये उक्त परिवादी के कथनों का समर्थन किया है। उक्त परिवादी संजय बीजावत व गवाह विनोद चौधरी की साक्ष्य में कोई तात्विक विरोधाभास प्रकट नहीं होता है। इसके अतिरिक्त गवाह विनोद चौधरी ने जिरह में कोई विपरीत कथन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में उक्त परिवादी संजय बीजावत के कथनों की गवाह विनोद चौधरी की साक्ष्य से पुष्टि होती है। उक्त परिवादी ने उक्त गवाह विनोद चौधरी की दुकान के सामने उक्त झगडा

होना जाहिर किया है एवं उक्त गवाह विनोद चौधरी ने भी अपने बयानों में घटना स्थल और उसकी दुकान के बीच केवल दस फुट का फुटपाथ होना बताते हुये उक्त झगडे में बीच बचाव करना जाहिर किया है। उक्त गवाह की मौके पर उपस्थिति के सम्बन्ध में अभियुक्त की ओर से कोई विपरीत तथ्य जाहिर नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त गवाह विनोद चौधरी का उक्त प्रकरण का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होना और उक्त गवाह की घटना स्थल के समीप ही दुकान होने से मौके पर स्वभाविक उपस्थिति होना प्रकट होता है। यद्यपि परिवादी संजय बीजावत व गवाह विनोद चौधरी ने दोनों का पूर्व से परिचित होना स्वीकार किया है परन्तु उक्त गवाह विनोद चौधरी की मौके पर उपस्थित होकर घटना स्थल पर बीच बचाव कराया है। ऐसी स्थिति में गवाह विनोद चौधरी उक्त प्रकरण का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होना प्रकट होता है। उक्त गवाह विनोद चौधरी ने उक्त परिवादी के कथनों को पूर्णतः समर्थन किया है। ऐसी स्थिति में उक्त परिवादी संजय बीजावत व उक्त गवाह विनोद चौधरी की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होती है एवं उक्त परिवादी संजय बीजावत व उक्त गवाह विनोद चौधरी की साक्ष्य से अभियुक्त सौरभ यादव द्वारा घ टना स्थल पर आकर उक्त परिवादी संजय बीजावत को रोककर उसके साथ मारपीट किये जाने का तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। यद्यपि उक्त गवाहान् ने अभियुक्त द्वारा आहत के धारधार हथियार से मारपीट करना जाहिर किया है परन्तु ऐसी कोई चिकित्सीय साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त गवाह पी.डब्ल्यू–1 डॉ. शशांक शर्मा उक्त प्रकरण का चिक्तिसीय साक्षी है जिसने अपने बयानों में दिनांक 19.04.2018 को आहत संजय बीजावत के शरीर पर आयी चोटों का मुआयना करना जाहिर करते हुये आहत के शरीर पर छः चोटें आना जिसमें से चोट संख्या–1 से 5 साधारण प्रकृति की होना व चोट संख्या–6 रेडियोलोजिस्ट की राय के अनुसार गम्भीर प्रकृति की होना जाहिर करते हुये परिवादी के शरीर पर चोटें आना जाहिर किया है। उक्त गवाह ने जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि चोट संख्या–1 कितनी पुरानी थी, इस बारे में रेडियोलोजिस्ट केलस के आधार पर राय दे पायेंगे और रेडियोलोजिस्ट की राय में ओल्ड फ्रेक्चर सीन लिखा हुआ हुआ है जो कि इंगित करता है कि यह फ्रेक्चर उस दिन के लिये फ्रेश नहीं था। इस प्रकार उक्त चिकित्सीय साक्षी ने अपने बयानों में उक्त आहत के शरीर पर साधारण व गम्भीर प्रकृति की चोटें आने का तथ्य जाहिर किया है।

इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू–4 राजकुमार शर्मा ने भी उक्त प्रकरण में नक्शा मौका का पूर्ण रूप से समर्थन किया है एवं जिरह में कोई विपरीत कथन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में उक्त गवाह की साक्ष्य से नक्शा मौका प्रदर्श पी–4 पूर्णतः साबित पाया जाता है।

उक्त गवाहान् के अतिरिक्त गवाह पी.डब्ल्यू–5 कृष्ण कुमार उक्त प्रकरण

में तहरीरी रिपोर्ट दर्ज करने का औपचारिक साक्षी है जिसने अपने बयानों में उक्त परिवादी की रिपोर्ट पर उक्त प्रकरण दर्ज कर उक्त परिवादी को एस.एम.एस अस्पताल मेडीकल हेतु भेजे जाने का तथ्य जाहिर किया है। इसी प्रकार अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–6 उम्मेद सिंह व पी.डब्ल्यू–7 सज्जन सिंह ने उक्त प्रकरण में अपने अनुसंधान में उक्त अभियुक्त सौरभ यादव के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 व 325 भा.दं.सं. प्रमाणित पाया जाना जाहिर किया है। उक्त गवाहान् की साक्ष्य से कोई तात्विक विरोधाभास प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उक्त परिवादी व अन्य गवाहान् की साक्ष्य से घटना की दिनांक 19.04.2018 को अभियुक्त सौरभ यादव द्वारा परिवादी संजय बीजावत को रोककर उसके साथ मारपीट कर उसके साधारण प्रकृति की चोटें कारित करना स्पष्ट होता है।

प्रकरण में जहां तक अपराध अंतर्गत धारा 325 भा.दं.सं. के आरोप का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त परिवादी संजय बीजावत ने अपने बयानों में अभियुक्त सौरभ यादव द्वारा घटना के समय हैलमेट से उक्त परिवादी के सिर पर लगातार वार करने और कान के पास धारधार वस्तु से वार करने का तथ्य जाहिर किया है और इसी प्रकार के तथ्य उक्त परिवादी ने अपनी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में जाहिर किये है। इसके साथ ही उक्त परिवादी ने उसके शरीर पर गहरी चोटें आना और हाथ में फैक्चर होने का तथ्य जाहिर किया है। उक्त परिवादी का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सिक साक्षी पी. डब्ल्यू–1 डॉ. शशांक शर्मा ने उक्त परिवादी के शरीर पर आयी चोट संख्या–6 रेडियोलोजिस्ट की राय के अनुसार गम्भीर प्रकृति की होना बताया है। साथ ही जिरह में उक्त गवाह डॉ. शशांक शर्मा ने रेडियोलोजिस्ट की राय में ओल्ड फ्रेक्चर सीन लिखा हुआ होना स्वीकार किया है तथा साथ ही यह तथ्य भी स्वीकार किया है कि ओल्ड फ्रेक्चर सीन से यह तथ्य प्रकट होता है कि उक्त फैक्चर जब रेडियोलोजिस्ट द्वारा राय दी गयी उस दिन के लिये फ्रेश / ताजा नहीं था। ऐसी स्थिति में चिकित्सीय साक्षी डॉ. शशाक शर्मा की साक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 पर अंकित ओल्ड फ्रेक्चर सीन से रेडियोलोजिस्ट की राय के समय उक्त चोट को फ्रेश नहीं होना माना है।

उक्त प्रकरण में परिवादी ने दिनांक 19.04.218 की घटना होना जाहिर किया है एवं उक्त दिवस को ही उक्त आहत का चिकित्सीय परीक्षण हुआ है एवं एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 21.04.2018 को उक्त आहत का एक्सरे हुआ है एवं स्वयं चिकित्सीय साक्षी डॉ. शशांक शर्मा ने उक्त गम्भीर चोट की समयावधि के सम्बन्ध में यह तथ्य जाहिर किया है कि इस सम्बन्ध में रेडियोलोजिस्ट ही केलस के आधार पर राय दे सकता है परन्तु उक्त प्रकरण में रेडियोलोजिस्ट की साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में रेडियोलोजिस्ट की साक्ष्य के अभाव में आहत के कारित चोट संख्या–6 की वास्तविक समयावधि स्पष्ट नहीं होती है। इसके

अतिरिक्त स्वयं चिकित्सीय साक्षी डॉ. शशांक शर्मा ने उक्त गम्भीर चोट की समयावधि स्पष्ट करने में अपनी असमर्थता जाहिर करते हुये केवल रेडियोलोजिस्ट द्वारा ही केलस के आधार पर उक्त चोट की समयावधि स्पष्ट किया जाना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में रेडियोलोजिस्ट की साक्ष्य के अभाव में उक्त चोट की वास्तविक समयावधि प्रकट नहीं होती है। इसके अतिरिक्त उक्त रेडियोलोजिस्ट की रिपोर्ट उक्त गम्भीर चोट के समक्ष पुराना फैक्चर होने का तथ्य अंकित किया है एवं रेडियोलोजिस्ट की साक्ष्य के अभाव में उक्त एक्सरे रिपोर्ट में अंकित पुराना फैक्चर होने का तथ्य स्पष्ट नहीं होता है और ना ही उक्त ओल्ड फ्रेक्चर सीन वाली चोट उक्त घटना के समय कारित होने का तथ्य प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में उक्त रेडियोलोजिस्ट की साक्ष्य के अभाव में एवं एक्सरे रिपोर्ट से उक्त विवादित चोट संख्या–6 के सम्बन्ध में ओल्ड फ्रेक्चर सीन का तथ्य स्पष्ट नहीं होने एवं पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्षी डॉ. शंशांक शर्मा द्वारा उक्त विवादित चोट की समयावधि के सम्बन्ध में रेडियोलोजिस्ट की राय के अभाव में स्पष्ट असमर्थता जाहिर किये जाने से उक्त विवादित चोट संख्या–6 उक्त झगडे के दौरान कारित होने का तथ्य साबित नहीं माना जा सकता है।

उक्त प्रकरण में अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस यह कथन किया है कि परिवादी एल.आई.सी एजेंट है जिसने घटना के समय अभियुक्त को बीमा पॉलिसी के लिये बाध्य किया और अभियुक्त की मोटर साईकिल को पकड कर गिरा दिया और अभियुक्त के विरूद्ध यह मुकदमा दर्ज करवाया है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि परिवादी ने अभियुक्त के अन्य कथनों को अपनी जिरह में गलत बताया है और अभियुक्त ने भी उक्त घटना क्रम के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में उक्त तथ्य विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा परिवादी के साथ मारपीट किये जाने का आरोप है और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से उक्त तथ्य प्रकट होता है और बीमा पॉलिसी का आग्रह किये जाने से भी अभियुक्त को परिवादी के साथ मारपीट किये जाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। ऐसी स्थिति में उक्त अभियुक्त का अपने बचाव में दिया गया उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त उक्त परिवादी संजय बीजावत व गवाह विनोद चौधरी ने अभियुक्त सौरभ यादव द्वारा हैलमेट व धारधार हथियार से मारपीट करना जाहिर किया है परन्तु परिवादी के शरीर पर किसी धारधार हथियार से चोटें कारित किये जाने का तथ्य प्रकट नहीं होता है एवं अभियुक्त द्वारा परिवादी के साथ घटना के समय मारपीट किये जाने के तथ्य के सम्बन्ध में उक्त गवाहान् की साक्ष्य में कोई विरोधाभास प्रकट नहीं होता है तथा उक्त पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से उक्त परिवादी के साथ उक्त अभियुक्त द्वारा मारपीट किये जाने और परिवादी को साधारण प्रकृति की चोटें कारित किये जाने का तथ्य पर्याप्त रूप से स्पष्ट है। ऐसी

स्थिति में उक्त परिवादी व अन्य गवाहान् के द्वारा अपनी साक्ष्य में किये गये उक्त अतिरिक्त कथनों से सम्पूर्ण अभियोजन कहानी पर अविश्वास किये जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अभियुक्त सौरभ यादव द्वारा उक्त परिवादी संजय बीजावत के शरीर पर उक्त चोट प्रतिवेदन में अंकित चोट संख्या–6 गम्भीर प्रकृति की कारित किया जाना साबित नहीं माना जा सकता है परन्तु उक्त परिवादी को रोककर एवं उसके साथ मारपीट कर साधारण प्रकृति की चोट कारित किये जाने का तथ्य पर्याप्त रूप से साबित पाया जाता है। ऐसी स्थिति में उक्त अभियुक्त सौरभ यादव को अपराध अंतर्गत धारा 341 व 323 भा.दं.सं. के आरोप से दोषसिद्ध किया जाना एवं अपराध अंतर्गत धारा 325 भा.दं.सं. के आरोप से समुचित साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: **आदेश** ::

अतः अभियुक्त सौरभ यादव पुत्र संतोष यादव, उम्र 28 वर्ष, निवासी बी.एस. 9 दीनदयाल नगर, महाराजपुरा, पुलिस थाना ग्वालियर–मध्यप्रदेश, हाल डी–4 विनायक अपार्टमेंट, नियर खिरनी फाटक चौकी, थाना झोटवाडा, जयपुर को अपराध अंतर्गत धारा 341 व 323 भा.द.सं. के आरोप से दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

उक्त अभियुक्त सौरभ यादव को अपराध अंतर्गत धारा 325 भा.दं.सं. के आरोप से समुचित साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(संतोष कुमार बैरवा)
अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम–2,
जयपुर महानगर–प्रथम

सजा के बिन्दु पर उभय पक्षों को सुना गया।

इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, उसकी पूर्व दोषसिद्धि के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभियुक्त नवयुवक होकर विद्यार्थी है और नरमी का रुख अपनाते हुए दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को विधि अनुसार दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है एवं अभियुक्त ने पूर्व में दोषसिद्धि नहीं होने बाबत् शपथ पत्र भी पेश किया है। ऐसी स्थिति में यह अभियुक्त का प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। अभियुक्त नवयुवक है एवं विद्यार्थी है व अभियुक्त के विरूद्ध परिवादी को गम्भीर चोट कारित किये जाने का तथ्य साबित नहीं हुआ

है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अभियुक्त को तुरंत दण्ड से दण्डित नहीं किया जाकर परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है एवं आहत को कारित चोटों के लिये उसे प्रतिकर दिलाये जाने का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: दण्डादेश ::

अतः अभियुक्त सौरभ यादव पुत्र संतोष यादव, उम्र 28 वर्ष, निवासी बी.एस. 9 दीनदयाल नगर, महाराजपुरा, पुलिस थाना ग्वालियर–मध्यप्रदेश, हाल डी–4 विनायक अपार्टमेंट, नियर खिरनी फाटक चौकी, थाना झोटवाडा, जयपुर को अपराध अन्तर्गत धारा 341 व 323 भा.दं.सं. के आरोप में दोषसिद्ध करते हुए परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों को लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000–10,000/रुपये के जमानत–मुचलके इस शर्त के साथ पेश कर तस्दीक करा दे कि वह उक्त अवधि में परिशांति व सदाचार बनाये रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित होकर सजा भुगतेगा, तो अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे। साथ ही परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त रूपये 1500/–(एक हजार पॉच सौ) कार्यवाही खर्च की राशि न्यायालय में जमा करायेगा जिसमें से रूपये 1000/–(एक हजार) प्रतिकर राशि प्रकरण के परिवादी/आहत संजय बीजावत को नियमानुसार बाद गुजरने मियाद अपील बतौर प्रतिकर नियमानुसार दिलाये जावे। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि परीविक्षा अधिनियम की धारा 12 के तहत इस आदेश से अभियुक्त उक्त अपराध की दोषसिद्धि से संलग्न, यदि कोई हो, निरर्हता से ग्रस्त नहीं होगा। अभियुक्त के न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। अभियुक्त के धारा 437ए द.प्र.सं. के अधीन जमानत मुचलके नियमानुसार प्रभावी रहेंगे।

उक्त अभियुक्त सौरभ यादव को अपराध अंतर्गत धारा 325 भा.दं.सं. के आरोप से समुचित साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(संतोष कुमार बैरवा)
अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम–2,
जयपुर महानगर–प्रथम

निर्णय आज दिनांक 28.10.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संतोष कुमार बैरवा)
अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम–2,
जयपुर महानगर–प्रथम